



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 माघ 1943 (श०)
(सं० पटना 48) पटना, मंगलवार, 1 फरवरी 2022

परिवहन विभाग

अधिसूचना

1 फरवरी 2022

सं० 02/कर/शुल्क-10/2021, परि०/659—सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या—सा०का०नि०—653 (अ), दिनांक—23.09.2021 द्वारा अधिसूचित मोटर यान (यान स्क्रेपिंग सुविधा का रजिस्ट्रीकरण और कार्य) नियम, 2021 को यथास्थिति बिहार राज्य में लागू करते हुए उक्त नियमावली के नियम-3 (ठ) के तहत “राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार” को रजिस्ट्रीकरण प्राधिकार एवं नियम-3 (ख) के तहत “सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव, परिवहन विभाग, बिहार” को अपीलीय प्राधिकार अधिसूचित किया जाता है।

2. यह अधिसूचना बिहार गजट में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार अग्रवाल,
सरकार के सचिव।

The 1st February 2022

No.-02/कर/शुल्क-10/2021,परि०/659—Motor Vehicles (Registration and Functions of Vehicle Scrapping Facility) Rules, 2021 notified by the Ministry of Road Transport and Highways, Government of India vide notification no.-GSR-653(E), dated -23-09-2021 is being enforced in the State of Bihar as it is and State Transport Commissioner, Bihar is being notified as registering authority under rule-3(b) and Secretary/Principal Secretary/Additional chief Secretary is being notified as appellate authority under the rule-3(l) of the said rule.

2. This notification shall come into effect from the date of its publication in Bihar Gazette.

By order of the Governor of Bihar,
Sanjay Kumar Agarwal,
Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 48-571+10-डी०टी०पी०
Website: <http://egazette.bih.nic.in>